बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्र सं० –एन.एच.एम./बी.एच.डी.एस.–285/2015 283 /कृ0, पटना दिनांक 09 मार्च, 2016

प्रेषक,

प्रभु राम,
निदेशक प्रशासन–सह–अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

#अनौपचारिक रूप से परामर्शित

#द्वारा – वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषय– **बिहार बागवानी विकास सोसाइटी को वित्तीय वर्ष 2014–15 में स्वीकृत राष्ट्रीय सब्जी इनिसिएटिव योजना (VIUC) के RKVY मद में केन्द्र सरकार से विमुक्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायतानुदान की प्रथम किस्त की राशि मो० 3.00 करोड़ (तीन करोड़) रूपये की वित्तीय वर्ष 2015–16 निकासी एवं व्ययन की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

निदेशानुसार बिहार हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाईटी को बागवानी विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 में राष्ट्रीय सब्जी इनिसिएटिव योजना (VIUC) के केन्द्रांश मद में भारत सरकार द्वारा विमुक्त प्रथम किस्त की राशि मो० 3.00 करोड़ (तीन करोड़) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में राष्ट्रीय सब्जी इनिसिएटिव योजना (VIUC) के लिए स्वीकृत अवयवों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप अदेयता की राशि (Liability Payment) का भुगतान इस राशि से किया जाएगा।

राष्ट्रीय सब्जी इनिसिएटिव योजना (VIUC) का वित्तीय वर्ष 2014–15 में स्वीकृत कार्यक्रम (अनुलग्नक – 1) संलग्न है।

2. राष्ट्रीय सब्जी प्रोत्साहन योजना (VIUC) के अन्तर्गत जैविक सब्जी उत्पादन कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जैविक सब्जी उत्पादन, पर्यावरण तथा मानव एवं पशुधन स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी लाभदायक है।

3. वित्तीय वर्ष 2014–15 में बिहार बागवानी विकास सोसाईटी को बागवानी विकास कार्यक्रमों के लिए 178.948 करोड़ रूपये (केन्द्रांश 53.225 करोड़ रूपये एवं राज्यांश 125.693 करोड़ रूपये) स्वीकृत की गई थी, जिसमें राष्ट्रीय सब्जी इनिसिएटिव योजना के कार्यान्वयन हेतु RKVY मद से 9.00 करोड़ एवं राज्य योजना मद से 16.6185 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्राप्त थी, परन्तु केन्द्र सरकार द्वारा अपने पत्रांक 1–4/2014–RKVY दिनांक 22.02.2014 के माध्यम से इस योजना हेतु RKVY मद में प्रस्तावित 9.00 करोड़ के विरूद्ध मात्र अतिरिक्त केन्द्रांश सहायतानुदान कुल 6.00 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई तथा प्रथम किस्त के रूप में मो० 3.00 करोड़ रूपये विमुक्त की गई।

4. भारत सरकार, कृषि मंत्रालय द्वारा इस योजनान्तर्गत RKVY मद में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायतानुदान के प्रथम किस्त के रूप में मो० 3.00 करोड़ रूपये दिसम्बर, 2014 में विमुक्त की गई, जिसकी निकासी कोषागार से नहीं हो सकी। भारत सरकार, कृषि मंत्रालय कृषि एवं सहकारिता विभाग (RKVY Division) के पत्रांक 7–3/2015–आर.के.वी.वाई. दिनांक 09.09.2015 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त 3.00 करोड़ रूपये के उन कार्यक्रमों पर व्यय किया जा सकता है, जो वर्ष 2014–15 में अनुमोदित हुआ परन्तु पूर्ण नहीं हो सका, जिसके लिए आवंटनादेश की आवश्यकता है, जिसकी स्वीकृति मंत्रिपरिषद् द्वारा दी गई है।

letter dt. 23.02.16

5. लाभ :– राष्ट्रीय सब्जी इनिसिएटिव योजना (VIUC) वित्तीय वर्ष 2014–15 में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायतानुदान (100% केन्द्रांश) के अधीन स्वीकृत थी, जिसे वित्तीय वर्ष 2015–16 में केन्द्रांश 50% एवं राज्यांश 50% के अधीन कर दी गई है। इस प्रकार उक्त राशि को वित्तीय वर्ष 2014–15 के अधीन निकासी करने पर राज्य सरकार के खजाने पर इतने राशि का अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा एवं वित्तीय वर्ष 2014–15 की स्वीकृत कार्य योजना के अपूर्ण अवयव के कार्य पूर्ण कराने में व्यय की जाने वाली राशि में राज्य सरकार को 3.00 करोड़ रूपये का लाभ होगा।

6. बागवानी मिशन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तर पर बिहार बागवानी विकास सोसाईटी एवं जिला स्तर पर जिला बागवानी विकास समिति गठित है। बिहार बागवानी विकास सोसाईटी के राज्य स्तर पर कार्यकारी प्रधान मिशन निदेशक एवं जिला स्तर पर जिला बागवानी विकास समिति के अध्यक्ष संबंधित जिलो के जिला पदाधिकारी हैं।

7. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत् भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में विमुक्त केन्द्रांश की राशि का विवरण निम्न प्रकार है :–

(राशि करोड़ रू० में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि			प्रस्तावित योजना की आवश्यकता राशि		
	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल
मुख्य शीर्ष 2401 – फसल कृषि कर्म – उपमुख्य शीर्ष –00– लघु शीर्ष –109– विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण–मांग सं०–1 उपशीर्ष–0216– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई) (ए.सी.ए.), विपत्र कोड– P2401001090216, पी.एफ.एम.एस. कोड – 9145, विषयशीर्ष–3106– सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा	189.1736		189.1736	2.49		2.49
मुख्य शीर्ष 2401 – फसल कृषि कर्म – उपमुख्य शीर्ष –00– लघु शीर्ष –789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–मांग सं०–1 उपशीर्ष–0203– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई) (ए.सी.ए.), विपत्र कोड– P2401007890203, पी.एफ.एम.एस. कोड – 9145, विषयशीर्ष–3106– सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा	36.4672		36.4672	0.48		0.48
मुख्य शीर्ष 2401 – फसल कृषि कर्म – उपमुख्य शीर्ष –00– लघु शीर्ष –796– जनजातीय क्षेत्र उप योजना–मांग सं०–1 उपशीर्ष–0231– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई) (ए.सी.ए.), विपत्र कोड– P2401007960231, पी.एफ.एम.एस. कोड – 9145, विषयशीर्ष–3106– सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा	2.2792		2.2792	0.03		0.03
मुख्य शीर्ष 2401 – फसल कृषि कर्म – उपमुख्य शीर्ष –00– लघु शीर्ष –109– विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण–मांग सं०–1 उपशीर्ष–0316– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई) (ए.सी.ए.), विपत्र कोड– P2401001090316, विषयशीर्ष–31 06– सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा		146.5462	146.5462			
मुख्य शीर्ष 2401 – फसल कृषि कर्म – उपमुख्य शीर्ष –00– लघु शीर्ष –789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–मांग सं०–1 उपशीर्ष–0303– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई) (ए.सी.ए.), विपत्र कोड– P2401007890303, विषयशीर्ष–31 06– सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा		30.4224	30.4224			
मुख्य शीर्ष 2401 – फसल कृषि कर्म – उपमुख्य शीर्ष –00– लघु शीर्ष –796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–मांग सं०–1 उपशीर्ष–0331– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई) (ए.सी.ए.), विपत्र कोड– P2401007960331, विषयशीर्ष–31 06– सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा		13.1714	13.1714			
योग	227.9200	190.1400	418.0600	3.00		3.00

letter dt. 23.02.16

8. बिहार हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाईटी को अनुदान के रूप में स्वीकृत 3.00 करोड़ (तीन करोड़) रूपये मात्र की निकासी निदेशक, उद्यान, बिहार द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। बिहार हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाईटी को अनुदान के रूप में स्वीकृत राशि की निकासी बी.टी.सी. फार्म–42 पर की जायेगी, जिसके साथ बिहार हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाईटी से पूर्व प्राप्ति रसीद संलग्न की जायेगी। निकासी उपरान्त अनुदान के रूप में स्वीकृत राशि बिहार हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाईटी पटना के पी.एल. खाता में जमा की जाएगी। बिहार हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाईटी अपने पी.एल. खाता से योजना की उक्त राशि दो समान किस्तों में आहरित कर संबंधित जिला बागवानी विकास समिति को योजना कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध करायेगी। विपत्र में योजना का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। बिहार हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसायटी द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी एवं इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को भेजी जायेगी। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी।

9. उक्त योजना के लिए केन्द्रांश की राशि कृषि विभाग द्वारा बिहार हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाईटी को विमुक्त की जायेगी। बिहार हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाईटी द्वारा निधि संबंधित जिला के जिला बागवानी विकास समिति को विमुक्त किया जायेगा।

10. योजना कार्यान्वयन के संबंध में प्रशासी विभाग द्वारा यथाआवश्यक संशोधन किया जा सकेगा।

11. अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लिए उपबंधित राशि का व्यय क्रमशः अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लाभुकों के लिए किया जायेगा। स्वीकृत राशि से जिला की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की आबादी के प्रतिशत के अनुसार उनके कल्याणार्थ राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा। राज्य स्तर पर अनुसूचित जाति के लिए न्यूनतम 16 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1 प्रतिशत व्यय सुनिश्चित किया जायेगा। यह भी प्रयास किया जायेगा कि लाभूक में से न्यूनतम 30 प्रतिशत महिला कृषकों की भागीदारी हो।

12. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.03.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96 वि० (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति संचिका संख्या– एन.एच.एम. / बी.एच.डी.एस. –285 / 2015 के पृ० सं० 11 / टि० पर प्राप्त है। मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 16.02.2016 को आयोजित बैठक में इस योजना में स्वीकृति दी गयी है।

13. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

14. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति दिनांक 26.02.2016 को प्राप्त है, जो संचिका संख्या– एन.एच.एम. / बी.एच.डी.एस.–285 / 2015 के पृष्ठ संख्या– 13 / टि० पर संधारित है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(प्रभु राम) 3/16

निदेशक प्रशासन –सह– अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 283 / कृ0,पटना दिनांक 09 मार्च, 2016

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार, बिहार वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रशासन –सह– अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

letter dt. 23.02.16

ज्ञापांक — 283 /कृ0,पटना दिनांक 09 मार्च, 2016

प्रतिलिपि:- योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग एवं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रशासन –सह– अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक — 283 /कृ0,पटना दिनांक 09 मार्च, 2016

प्रतिलिपि:– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रशासन –सह– अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक — 283 /कृ0,पटना दिनांक 09 मार्च, 2016

प्रतिलिपि– अध्यक्ष, राज्य किसान आयोग, बिहार, पटना/ उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/ कृषि मंत्री के आप्त सचिव/ कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/ संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/ मिशन निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम० कृषि विभाग, बिहार, पटना/ सभी जिला उद्यान पदाधिकारी/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रशासन –सह– अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक — 283 /कृ0,पटना दिनांक 09 मार्च, 2016

प्रतिलिपि– अवर सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सेल, कृषि भवन, नई दिल्ली–110114/कृषि सलाहकार, योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली– 110001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रशासन –सह– अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

संजय कुमार सिन्हा

letter dt. 23.02.16